न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– डॉ. सूरज सिंह नेगी
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
24 / 2020 प्रा.पत्र / 2020	16.03.2020	09.02.2024

मदनलाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

............प्रार्थी

बनाम

1–श्री अशोक कुमार जैन पुत्र श्री कन्हैयालाल जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स ओमप्रकाश अशोक कुमार बस स्टेण्ड रानोली तह0 पीपलू जिला–टोंक निवासी बस स्टेण्ड रानोली तह0 पीपलू जिला–टोंक पिनकोड–304801
2–मैसर्स ओमप्रकाश अशोक कुमार बस स्टेण्ड रानोली तह0 पीपलू जिला–टोंक पिनकोड–304801
3–श्री कन्हैयालाल शर्मा पुत्र श्री बाबूलाल शर्मा निवासी पंचायत के पास चेनपुरा तह0 निवाई जिला–टोंक प्रोपरायटर मैसर्स व्यास ट्रेडिंग कम्पनी कॉटक महिन्द्रा बैंक के सामने झिलाय रोड निवाई जिला–टोंक पिनकोड–304021
4–मैसर्स व्यास ट्रेडिंग कम्पनी कॉटक महिन्द्रा बैंक के सामने झिलाय रोड निवाई जिला–टोंक पिनकोड–304021
5–श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र सुगन सिंह निवासी 68–ए, गणेश नगर प्रथम, बेनाड़ रोड हरमाडा जयपुर प्रोपरायटर मैसर्स श्री लक्ष्मीनाथ फूड प्रोडक्ट्स प्लाट नं0 21, 21–ए, कृष्णा विहार–5, रोड नं0 18 आकेरा डूंगर जयपुर राज0 पिनकोड–302013
6–मैसर्स श्री लक्ष्मीनाथ फूड प्रोडक्ट्स प्लाट नं0 21, 21–ए, कृष्णा विहार–5, रोड नं0 18 आकेरा डूॅगर जयपुर राज0 पिनकोड–302013

............अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार।
2–श्री दिनेश कुमार शर्मा अप्रार्थीगण 3 ता 6 की ओर से उपस्थित।

:–**निर्णय**–: **दिनांक 09.02.2024**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 20.10.2019 को समय 12.39 पीएम पर मैसर्स औमप्रकाश अशोक कुमार बस स्टेण्ड रानोली तह0 पीपलू जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर श्री अशोक कुमार जैन पुत्र श्री कन्हैयालाल जैन उपस्थित मिले, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री श्री अशोक कुमार जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान मैसर्स औमप्रकाश अशोक कुमार बस स्टेण्ड रानोली का एकमात्र मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिकी प्रपत्र मांगे जाने खाद्य अनुज्ञा पत्र होना स्वीकार किया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय हेतु अन्य खाद्य पदार्थों के साथ गुड,घी, अलग–अलग ब्रान्ड,शक्कर,तेल के साथ साथ **रिफाइन्ड पाम आयल किशना मूल पेक (Refined Palm Oil Kishna Original Pack)** अलग–अलग 910–910 ग्राम के 16 सील्ड पेक पेपर कार्टून में दुकान में आम जनता को किय करने हेतु रखे हुए पाये गये। जिसे खाद्य सुरक्षाा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री अशोक केमार जैन को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विकेता श्री अशोक कुमार व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **रिफाइन्ड पाम आयल किशना मूल पेक (Refined Palm Oil Kishna Original Pack)**जिसके बैच/लोट नम्बर 006 एवं पैकिंग की दिनांक सितम्बर 2019 थी, वास्ते नमूना जांच 4 पेक क्रय किया जा रहा है, कह कर 4 मूल पैक खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को 320/रूपये अक्षरे तीन सौ बीस रूप्ये नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **रिफाइन्ड पाम आयल किशना मूल पेक (Refined Palm Oil Kishna Original Pack)** 4 मूल पैक में से एक–एक नग वाले नियमानुसार चार भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं कमांक आई–2363 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–2363 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री अशोक कुमार ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स व्यास ट्रेडिंग कम्पनी कॉटक महिन्द्रा बेंक के सामने झिलाय रोड निवाई जिला–टोंक का खरीद बिल सं0 425 दिनांक 5–10–2019 प्रस्तुत उक्त फर्म से खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया। आवेदक द्वारा मैसर्स व्यास ट्रेडिंग कम्पनी कॉटक महिन्द्रा बेंक के सामने झिलाय रोड निवाई जिला–टोंक से पत्र व्यवहार करने पर उक्त फर्म के व्यवहारी ने उपस्थित होकर मैसर्स श्री लक्ष्मीनाथ फूड प्रोडक्ट्स प्लाट नं0 21–ए, कृष्णा विहार–5, रोड नं0 18 आकेरा डूँगर जयपुर राज0के वारन्टी बिल दिनांक 13–1–2020 को प्रस्तुत किये, मैसर्स श्री लक्ष्मीनाथ फूड प्रोडक्ट्स से दस्तावेज मांगने पर फर्म के व्यवहारी ने सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत किये ।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./19/2447 दिनांक 27.11.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एल.एस./2583/एक्ट/2019/2120 दिनांक 18.11.2019 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु कय किया गया **रिफाइन्ड पाम आयल किशना मूल पेक (Refined Palm Oil Kishna Original Pack)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से उनके श्री दिनेश कुमार शर्मा एडोकेट उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं की गई है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **रिफाइन्ड पाम आयल किशना मूल पेक (Refined Palm Oil Kishna Original Pack)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **रिफाइन्ड पाम आयल किशना मूल पेक (Refined Palm Oil Kishna Original Pack)**का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 50,000/– (अक्षर पचास हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 09.02.2024 से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर नियमानुसार शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.02.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. सूरज सिंह नेगी)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0